

लोक-सुनवाई का वृत्त

मेसर्स देवघर ट्रैक्टर्स, पार्टनर- श्री जय शंकर कुमार, पता-आशा राम केशन रोड, कार्स्टर्स टाउन, देवघर के द्वारा बरनार नदी ब्लॉक-09 बालू घाट, मौजा-मङ्गायन, प्रखंड-खैरा, जिला-जमुई में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक-सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0- एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में दिनांक 05.10.2023 को पूर्वाहन 12:00 बजे प्रखंड सभागार खैरा, जिला-जमुई के प्रांगण में लोक सुनवाई आयोजित की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना सं0- एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या- SIA/1(a)/2347/2023, दिनांक 10.04.2023 के आलोक में रामदुलार राम, अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जमुई की अध्यक्षता में की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

प्रसंगाधीन लोक-सुनवाई की सूचना पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा- “दैनिक जागरण” एवं “दैनिक भास्कर”, भागलपुर संस्करण के माध्यम से दिनांक 03.09.2023 को प्रकाशित की गयी है तथा प्रतिलिपि संलग्न। लोक सुनवाई के दौरान एस0 एन0 झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, भागलपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक-सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राजेश कुमार विश्वास ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि-

1. यह बालू खनन पट्टा बरनार नदी ब्लॉक-09 बालू घाट, मौजा-मङ्गायन, प्रखंड-खैरा, जिला-जमुई में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री जय शंकर कुमार को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक-09 में 42.2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 529188 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹1659.46 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के ब्लॉक संख्या-09 को समिलित किया गया है।
2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर “वैज्ञानिक विधि” तथा अनुमोदित “खनन योजना” के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाएं गए हैं।

8V

3. खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खनन कार्य अर्द्ध-मशीनीकरण व्यवस्था के साथ किया जायेगा जिसमें यांत्रिक उपकरणों के साथ मानव संसाधन का भी उपयोग किया जायेगा। बरसात एवं याढ़ की अवधि में खनन नहीं किया जायेगा। जल प्रवाह वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। केवल सूखे रथल पर ही खनन की कारबाई की जायेगी।
4. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में ओवर-लोडिंग नहीं किया जायेगा। इस मार्ग के रख-रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे— मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाइल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाए जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य संघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दबाव वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देना खनिज में उपलब्ध नभी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा। खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय-समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

8

✓


परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं—

क्रमांक	प्रतिक्रिया / सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री रामचन्द्र यादव, मझगांय, जिला-जमुई के द्वारा प्रस्तावित परियोजना का समर्थन करते हुए नियमों एवं प्रावधानों के अनुरूप खनन कार्य कराये जाने का अनुरोध किया गया।	प्रस्तावित खनन परियोजना में प्राधिकार द्वारा निर्माता दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए खनन कार्य किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना में 422 की संख्या में वृक्षारोपण का प्रस्ताव है। जो सड़कों के किनारे तथा स्थानीय ग्रामीणों से विमर्श कर अन्य उपलब्ध जगहों पर लगाये जायेंगे। खनन परियोजना शुरू होने पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के कई अवसर सृजित होंगे। प्रत्यक्ष रोजगार में स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर प्राथमिकता दिया जायेगा।
2.	श्री मदन रविदास, मझगांय, जिला-जमुई के द्वारा नियमानुसार बालू का उठाव करने तथा स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर दिये जाने का आग्रह किया गया।	प्रस्तावक के प्रतिनिधि श्री गौरव चौधरी के द्वारा नियमों के अनुरूप खनन की कारवाई किये जाने का आश्वासन दिया गया।
3.	श्री सकलदेव यादव, मझगांय, जिला-जमुई के द्वारा प्रस्तावित परियोजना का समर्थन करते हुए नियमों एवं प्रावधानों के अनुरूप खनन कार्य कराये जाने का अनुरोध किया गया।	विद्यालय खुलने एवं बंद होने के समय पर बालू लदे गाड़ियों का परिवहन नहीं किया जायेगा। बालू लदे गाड़ियों के परिवहन के लिये गांव के बाहर के सड़क का उपयोग किया जायेगा।
4.	श्री संजीव कुमार, मझगांय, जिला-जमुई के द्वारा बालू लदे गाड़ियों के परिवहन के दौरान विद्यालय के बच्चों को संभावित दुर्घटना से बचाने के लिए उपाय किये जाने का अनुरोध किया गया।	प्रस्तावित परियोजना में सिर्फ पी०य०सी० प्राप्त गाड़ियों का ही खनन कार्य में उपयोग किया जायेगा। बालू लदे गाड़ियों के परिवहन के लिये गांव के बाहर के सड़क का उपयोग किया जायेगा। बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। सरकार द्वारा आवंटित जमीन पर ही खनन कार्य कराया जाना है। यदि किसी की निजी जमीन खनन में जाती है तो इसकी सूचना जिला खनन कार्यालय अथवा जिला प्रशासन को दी जा सकती है जिसपर नियमानुसार मुआवजा / कारवाई की जायेगी।
5.	श्री परशुराम कुमार, कागेश्वर पंचायत, जिला-जमुई के द्वारा गाड़ियों के परिवहन से स्थानीय लोगों को होने वाले कठिनाई एवं वाहन जनित प्रदूषण को रोकने के लिए उपायों की जानकारी मांगी गई। इनके द्वारा यह भी अनुरोध किया गया कि जिन लोगों का निजी जमीन गया है उनके रोजगार इत्यादि का प्रबंध किया जाय।	

लोक-सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता-सह-सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू लोक-सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता-सह-सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू का संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्यधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसका नियमानुसार उपयोग करने से स्थानीय एवं राज्य रत्तर को भी आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियन्त्रण हेतु उपाय सुझाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना

जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित जनता को सुनवाई में शामिल होकर अपने सुझाव एवं शिकायत से अवगत कराने के लिए आभार व्यक्त किया गया तथा बताया गया कि प्राप्त सुझाव एवं प्रश्न प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण हैं। इनसे प्रस्तावित परियोजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने में मदद मिलेगी। बैठक में उपस्थित जनता से प्राप्त सुझाव/शिकायत से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जायेगा, जिससे प्रस्तावित परियोजना विधिसम्मत तरीके से चल सके तथा ग्रामीणों को इस परियोजना का समुचित लाभ प्राप्त हो।

लोक-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित बालू धाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशासा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक-सुनवाई संधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।


5-10-2023

क्षेत्रीय प्राधिकारी
विधायिका परिषद्,
भागलपुर।


अपर समाहर्ता

जमुई।



उपस्थिति सूची

मेसर्स देवघर ट्रैक्टर्स, पार्टनर-श्री जय शंकर कुमार, पता-आशा राम केशन रोड, कास्टर्स टाउन, देवघर द्वारा बरनार नदी ब्लॉक-०९ बालू घाट, मौजा-मंझगायन, ब्लॉक-खैरा, जिला-जमुई का बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 05.10.2023 को पूर्वाहन् 12:00 बजे लोक सुनवाई का स्थल: प्रखंड सभागार खैरा, जिला- जमुई में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Rajesh Kumar	Adm (PSL) au SPGLD Jamui	5/10/23
2.	Shambhu Nath Singh	Regional Officer Bhagalpur Bihar State Pol. Control Board	Shambhu 5-10-2023
3.	जिल्हा प्रभारी	जिल्हा प्रभारी कार्यालय	5/10/2023
4.	Sonia	minis inspector	5/10/2023
5.	आशीष प्रकाश	राज्य निरीक्षक	Ab 5/10/23
6.	Mithun Kumar	Minis Inspector	Hilank 05/10/2023
7.	मनोज कुमार	आमाराम नंगा (मारवाड़) कालीन दफ्तर (मारवाड़)	मनोज कुमार
8.	Niraj Singh	मेट्रो नियंत्रण	Niraj Singh
9.	मनोज कुमार	मेट्रो नियंत्रण	मनोज कुमार
10.	मिथुन कुमार	मेट्रो नियंत्रण	मिथुन कुमार

11.	Santosh Kumar	H.S.I.C.I.Y.O	Santosh Kumar
12.	Sam PTE	H.S.I.C.I.Y.O	Sam PTE
13.	Shyam PTE	H.S.I.C.I.Y.O	Shyam PTE
14.	Abdul Hameed	H.S.I.C.I.Y.O	Abdul Hameed
15.	Parvez Ali	H.S.I.C.I.Y.O	Parvez Ali
16.	Ram Singh	H.S.I.C.I.Y.O	Ram Singh
17.	Amit Kumar	H.S.I.C.I.Y.O	Amit Kumar
18.	Pankaj	H.S.I.C.I.Y.O	Pankaj
19.	Shivani	H.S.I.C.I.Y.O	Shivani
20.	Swati	H.S.I.C.I.Y.O	Swati
21.	Vicky	H.S.I.C.I.Y.O	Vicky
22.	Nawin	H.S.I.C.I.Y.O	Nawin
23.	Demand	H.S.I.C.I.Y.O	Demand
24.	Pratap Singh	H.S.I.C.I.Y.O	Pratap Singh
25.	Shivam	H.S.I.C.I.Y.O	Shivam

26.	સુરત પ્રાંત	Surat	25/11/2015
27.	ગુજરાત	Gujarat	26/11/2015
28.	દોડીશિ	Dodiya	Chhota
29.	કચ્છ રિયા	Kachchh	27/11/2015
30.	ઝાના જિલ્લા	Jhanjhira	28/11/2015
31.	બેઠાલી કુશા	Betahali	બેઠાલી
32.	આનંદ	Anand	Anand
33.	ફાન	Fana	17/11/2015
34.	અણુનગર જિલ્લા	Ahmedabad	29/11/2015
35.	રાન વાતાવરણ	Ranavatavaran	29/11/2015
36.	અંધ્રપ્રદીપ	Andhra Pradesh	30/11/2015
37.	એજન્ટન જિલ્લા	Ejentn	એજન્ટન
38.	સાંદુર કુશા	Sandur	સાંદુર કુશા
39.	સાંદુર કુશા	Sandur	સાંદુર કુશા
40.	સાંદુર કુશા	Sandur	સાંદુર કુશા

41.	Karkish Mishra	ma shgaye	Rakesh Mishra
42.	Raj Rayan Kumar	Tamai	Raj Rayan Kumar
43.	Ganesh Kumar	Patna	Ganesh Kumar
44.	Sanjay Kumar	maghati	
45.	Vikash Kumar	Magayi	Vikash
46.	PUSHPAK KUMAR SINGH	magayi	
47.	235367112	21/09/2021	235367112
48.	Avinash Kumar	magayi	Avinash Kumar
49.	Gourav Choudhary	Tamai	
50.	Anish Kumar	A.S.O. BSPCB, Bhagalpur	Anish 05/10/2021
51.	Rajesh Kumar Vithwani	Environment Consultant P&M Solutions, Moida.	Rajesh
52.			
53.			
54.			
55.			